International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कृषि उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा बढ़ाने हेतु सरकारी उपायों की समीक्षा

धीरेन्द्र कुमार राय
शोधार्थी
स्नातकोत्तर अर्थशात्र विभाग
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

परिचय

हमारे देश की खुशहाली का रास्ता खेती–खलिहानों और गांवों से होकर गुजरता है। आज भी हमारे देश की दो तिहाई जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि हमारे देष की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का 17 प्रतिषत योगदान है।

देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आज भी कृषि में ही लगा हुआ है और वही उसके रोजगार का एकमात्र साधन भी है। लेकिन इतने लोगों को व्यवसाय देने वाला यह क्षेत्र हमेशा ही उपेक्षा का शिकार भी रहा है। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में कृषि की समस्या लगातार विकराल रूप लेने लगी थी। किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा लगान चुकाने में ही चला जाता था, उसी अंसतोष का नतीजा था कि किसानों ने आजादी की लड़ाई में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता संग्राम ने उन्हें यह आशा दी थी कि जब भारत के लोग खुद सत्ता में आएंगे तो उनकी समस्याएँ दूर हो सकेंगी। आजादी के बाद की सरकार ने कृषि क्षेत्र और किसानों के विकास के लिए काफी योजनाएँ बनाई और इस क्षेत्र में काफी सुधार भी किया। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें कृषि पैदावार के बढ़ाने से लेकर अनाजों के लिए सुगम बाजार और अच्छे दाम दिलने के लिए प्रयासरत रहे। लेकिन कृषि को अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो हम पाते है कि हमारे देश में बड़ी जोत के किसान भी आज मजदूरी करने को विवश हैं। हमारे देश में ही महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ जैसे इलाकों के बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति की वजह से अखबारों में जगह पाते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए और किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इन्ही समस्याओं को देखते हुए और वर्तमान संकटों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने कई तरह की योजनाएँ चलाई हैं।[1]

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना की मांग किसान वर्षो से करते आ रहे हैं। इस बीमा योजना के तहत रबी की फसल पर प्रीमियम डेढ़ फीसदी होगा तो वही खरीफ के लिए यह प्रीमियम 2 फीसदी तय किया गया है। गौरतलब है कि पहले यह बीमा प्रीमियम 15 फीसदी होता था। इस योजना के तहत कैपिंग का प्रावधान पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे किसानों को पूरा लाभ मिल सकेगा। इस योजना में कम प्रीमियम में ज्यादा जोखिम कवर होगा और ज्यादा सहायता दी जाएगी। फसल बीमा को व्यापकतक को समेंटने की कोशिश की गई है। पोस्ट हार्वेस्टिंग में होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है। बीमा क्लेम के लिए अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा। ऐसा कई बार देखा जाता है कि किसानों तक बीमा के रूप्ये पहुंचने में सालों लग जाते हैं और वो किसान तब तक कर्ज में पूरी तरह डूब चुका होता है और बीमा का पैसा कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

इस योजना का क्रियान्वयन सही होता है तो यह किसानों के खेती करने को न सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि उनके अंदर के उस छुपे डर को भी निकाल फेंकेगा, जिसके कारण किसान फसलों पर ज्यादा पैसे खर्च करने से डरते हैं। इसके तहत प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद 25 फीसदी क्लेम सीधा संबंधित किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाएगा। वही बाकी का भुगतान नुकसान के आकलन के बाद किया जाएगा। इसमें फसलों की कटाई से प्राप्त आंकड़ा भी शामिल होगा। इसके लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों को स्मार्ट भी मुहैया कराया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के साथ स्थानीय आपदाओं को भी जोड़ लिया गया है। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश अथवा आंधी–तूफान से स्थानीय–स्तर पर होने वाले नुकसान पर भी बीमा का भुगतान किया जाएगा। इस योजना पर इस वर्ष 17,600 करोड़ रूपये खर्च का अनुमान है। केन्द्र ने 8,800 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं इतनी ही रकम राज्य सरकारें देंगी। फिलवक्त कर्ज लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा जरूरी रखा गया है।[2]

फसल बीमा के अलावा किसानों के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करना संकट का विषय रहा है। ऐसा तो हम हमेशा से ही सुनते आए है कि किसी भी खेत में सिर्फ पटवन की सुविधा मात्र से ही उस खेत की उत्पादक क्षतमा लगभग दुगुनी हो जाती है। किसानों के खेतों तक नहरों का न पहुंचना और बिजली की समस्या के अलावा सिंचाई को बदलते वैश्विक परिदृश्य ओर जलवायु परिवर्तन ने और भी भयावह बना दिया है। मौसम लगातार बदल रहा है, जब किसान के खेतों को सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत होती है तो वर्षा कहीं गायब–सी हो जाती है। दो सालों से देश में सूखे का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। वो तो किसानों का अदम्य साहस और खेतों से उनका लगाव है जिसके बलबूते वे आज भी इस व्यवसाय में न सिफ़ लगे हुए हैं बल्कि वे जी–तोड़ मेहनत करके समस्त देशवासियों का पेट भर रहे है। वे जिन फसलों की खेती कर रहे हैं वा अनाज तक उन्हें खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। दलहन फसलें इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं।[3] किसानों की थालियों से दाल कब की गायब हो चुकी है। सिंचाई की इन्हीं तमाम दिक्कतों व परेशानियों का ध्यान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमडल की बैठक में 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' को मजूरी दी है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं–

- इस योजना के अंतर्गत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य–स्तरीय योजनाएँ बनायी जाएंगी।
- इस योजना का उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करना है ताकि प्रति बूंद और अधिक फसल ली जा सके।
- इस योजना के तहत मोजूदा वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। इस योजना में हर खेत तक सिंचाई का जल पहुंचाना और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को अधिक धन इस्तेमाल कने की लचीली सुविधा व स्वायतत्ता दी गई है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- इन परियोजनाओं के कार्यान्वय के लिए राज्य कृषि विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे। तो वहीं समय–समय पर समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) होगी।
- इस योजना में केंद्र जहां 75 फीसदी अनुदान देगा तो वहीं 25 फीसदी खर्च राज्यों के जिम्में होगा।
- पूर्वोतर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का 90 तक होगा।

इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए कृषि की बेहतरी के कई और अहम प्रयास किए गए हैं उसके कुछ अहम बिंदु ये हैं–

- नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष को वित्तीय वर्ष 2015–16 मे 25,000 करोड़ रूप्ये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त फंड भी सरकार ने आवंटित किए है।
- लबी अवधि के ग्रामीण क्रेडिट फंड के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 15,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।
- लघु अवधि को ऑपरेटिव ग्रामीण ऋण पुर्नवित्त कोष के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 45,000 करोड़ रूपये आंवटित किए गए हैं।
- लघु अवधि के आर.आर.बी. पुर्नवित्त फंड के तहत 15,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से किसानों की समृद्धि के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को नई–नई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को भरपूर बजट मुहैया कराते हुए किसानों को अधिक लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि जब तक देश के किसान समृद्ध और खुशहाल नहीं होंगे तब तक भारत में पूर्ण समृद्धि नहीं आ सकती है। इसी वजह से केन्द्र सरकार ने अपने पहले बजट में जहां किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तमाम प्रावधान किए वहीं अन्य योजनओं के लिए भी पर्याप्त बजट का इंतजाम किया। करीब एक साल के कार्यकाल में केन्द्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए किसानों की समृद्धि हेतु भी प्रयासरत है। कृषि के जरिए न सिर्फ हमे अनाज मिलता है बल्कि मेहनती हाथों को काम भी मिलता है। ऐसी स्थिति में खेती के क्षेत्र में जितनी अधिक तरक्की होगी, उसी अनुपात में देश की तरक्की की गति भी बढ़ेगी।

इसी के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो प्रमुख घोषणाएं की हैं। इसके तहत उन्होंने राष्ट्रय आपदा राहत कोष (एन.डी.आर.एफ.) से किसानों को दी जाने वाली राहत में 50फीसदी की वृद्धि कर दी हैं। इसके साथ ही न्यूनतम क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र के आकार को मौजूदा 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी के स्तर पर ला दिया है। इससे ओलावृष्टि से कराह रहे किसानों को काफी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री के निर्देष के बाद कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

मुआवजा राशि कम पड़ने पर राज्यों को अपने प्रदेश के आकस्मिक कोष के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने कृषि बीमा योजनाओं के तहत दावों के त्वरित निपटाने के लिए भी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। राज्य–स्तरीय बैंकर्स समिति कमी बैठकें आयोजित कर फसल ऋणों की पुनर्सरचना समय पर सुनिष्चित करने के लिए भी राज्यों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही ऋण पुनर्भुगतान अवधि को भी एक साल बढ़ाने की बात कही गई है।

इसी तरह बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत कृषि मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर प्याज तथा आलू की क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन करने और संबंधित दिशा–निर्देशों के मुताबिक प्रस्ताव भेजने को कहा है। दरअसल प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, ओलावृष्टि, कीटों के हमले और पाला/शीतलहर से उपजने वाली स्थितियों से निपटने के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एस.डी.आर.एफ.) से आवश्यक राहत मुहैया कराने का अधिकार राज्यों सरकारों को प्राप्त है। वे इस कोष से किसानों को मदद कर सकती है। भारत सरकार ने अग्रिम तौर पर (एस.डी.आर.एफ.) के केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 2015–16 के लिए संबंधित अवधि के दौरान राजस्थान के लिए 413.50 करोड़ रूपये, जम्मू–कश्मीर के लिए 114.50 करोड़ रूपये और उत्तर प्रदेश के लिए 253.125 करोड़ रूपये जारी किए हैं।4

प्राकृतिक आपदा आने पर कृषि एवं बागवानी फसलों का नुकसान होने की स्थिति में राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) व राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से किसानों को सहायता देने का प्रावधान है। यह सहायता वर्षा आधारित फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 4500 रूपये, सिंचित फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 90000 रूप्ये दी जाती है। जालांकि उसमें यह भी प्रावधान है कि यह सहायता 750 रूपये से कम न हो। बारहमासी फसलों के लिए 1200 रूप्ये प्रति हेक्टेयर है। यह बुआई क्षेत्र में 1500 रूपये से कम नहीं होनी चाहिए जहां नुकसान ज0 प्रतिशत और उससे अधिक है।

केन्द्र सरकार की ओर से न सिर्फ किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से भी समृद्ध बनाया जा रहा है। किसनों को फसल उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देने की भी माकूल व्यवस्था की गई है। आई.सी.ए.आर. संस्थान व कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को परंपरागत खेती के अलावा औषधीय और तकनीकी खेती के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। विपणन केंद्रो व उत्पादन केंद्रों के बीच परिवहन की कमी को दूर करने के लिए सरकार उपरोक्त योजनाओं के अलावा भी कई तरह के अन्य उपाय कर रही है जिसमें राज्यों के विपणन कानूनों में संशोधन की वकालत करना ताकि उत्पादन स्थल के निकट ही संग्रहण केन्द्र/खरीद केन्द्रों का विकास निजी व सहकारिकता के आधार पर किया जा सके। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ए.आर.सी.आर.पी.) ने अनुसंधान संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित विकास परियोजनओं (ए.आई.सी.आर.पी.) के माध्यम से गेहूं, चावल, मक्का, जई, चारा फसलों, तिलहनों, दालों, गन्ना, कपास, रेशा और बागवानी फसलों में अनुसंधान ओर विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ और पुनगंठित किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए 16 अनुसंधान मंर्चो के संघ समेत कृषि में उच्च गुणवतों के अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

इसी तरह केंद्र सरकार का जोर मिट्टी को स्वस्थ बनाने पर भी है। केन्द्र सरकार चाहती है कि किसानों के खेत की मिट्टी स्वस्थ रहे, ताकि किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। इसके लिए सरकार की ओर से देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मृदा स्वस्थ्य कार्ड से किसानों को मृदा में पोषक तत्वों के विषय में तथा इन तत्वों की कमी को दूर कर, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार लाने और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा की अनुशंसाओं को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रय के तहत नियमित तौर पर 3 वर्ष में एक बार देष के सभी खेतों के मृदा–स्वास्थ्य स्तर का मूल्यांकन करने की योजना है ताकि मृदा में पोषक तत्वों की कमियों को चिन्हित कर आवश्यक सुधार किए जा सके।

उत्पदकता बढ़ाने, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने और कृषि संबंधी दक्षता व व्यवसायिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए बाजार तथा भूमि से संबंधित आवश्यक सुधारों द्वारा समुचित रूप से समर्थित उपायों से कृषि संबंधी विपदा से निपटने के लिए विकास के सम्मिलित प्रयास किए जाने का आवश्यकता है। जोखिम में कमी लाने और विविध गतिविधियों द्वारा जोखिम में कमी और अनुकूलन ओर आमदनी में वृद्धि के लिए किसान को सहायता देने सहित पूर्वी राज्यों को वैकल्पिक अनाज के कटारे के रूप में विकसित करने के लिए संस्थाओं और डिलिवरी सिस्टम स्थापित करने पर विशेश ध्यान दिए जाने के लिए संस्थाओं कल्याण सरकार की नीतियों और कार्यक्रम का आधार रहा है। सरकार ने किसानों की समस्याओं का निराकरण करने और उनके कल्याण के लिए कई नवाचार और नए दृष्टिकोण वाले समाधान प्रारंम किए है। एक ओर जहां इनमें सिचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्रफल और अच्छी इनपुट की उपलब्धता संबंधी सहायता देना शामिल है, वहीं दूसरी ओर, फसल बीमा, राष्ट्रीय कृषि मंडी और मूल्य स्थिरता जैसे प्रोत्साहनों के जरिए किसानों को फसल नाकाम रहने और मूल्य अस्थिरता के जोखिमों के विपरीत अधिकार सम्पन्न बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उच्च मूल्य वाली ऑर्गेनिक खेती, परंपरागत खेती और मवेषी तथा मत्स्यपालन सहित खेतीबाड़ी की विविधता सरकार के शीर्ष एजेंडे पर है।[5] इसके अलावा, किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों और विपणन के अवसरों से अवगत कराने के लिए कृषि के समस्त पहलुओं के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने का कार्य एक समर्पित टीवी चैनल डीडी किसान के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले दो वर्षो में अनेक चुनौतियों से निपटने और देश के लाखों किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रदान किया गया हैं।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

संदर्भ सूची :–

1. आर0 एल0 कौड़ा, (1999) ''एग्रीकल्चर डेललपमेंट इन द उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ0– 125
2. कुरूक्षेत्र, मार्च 2015, अंक 02, पृ0–. 34.
3. कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2016, अंक 09, पृ0–.22–26.
4. योजना, जुलाई 2014, अंक 07, पृ0– 14.
5. वहीं पृ0–17